कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या–19फ/01–एन/लो0से0आ0च/2018/309 लखनऊः दिनॉकः01/02/2019

:: आदेश ::

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद (प्रयागराज) के पत्र संख्याः–11(1)/01/ई–6/2016–17, दिनॉक 05.11.2018 के द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली 1999 यथा संशोधित नियमावली–2016 के नियमों व प्राविधानों के कम में संलग्न सूची में कमॉक–01 से 1830 तक उल्लिखित अभ्यर्थियों की अस्थाई नियुक्ति उपचारिका के पद पर (समूह 'ख') वेतनमान रू0 9300–34800/– ग्रेड वेतन रू0 4600/– एवं पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू0 44900–142400 (लेवल–7) में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सूची में उनके नाम के सम्मुख कालम संख्या –08 में अंकित चिकित्सालय/जनपद में की जाती हैः–

1. नियुक्त किये गये अभ्यर्थी को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा तथा कार्य एवं आचरण संतोषजनक न पाये जाने की दशा में इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि परिवीक्षाधीन अभ्यर्थी ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया है अथवा उसका कार्य एवं आचरण संतोषजनक नही है, तो नियुक्त अभ्यर्थी की नियमानुसार सेवायें समाप्त की जा सकती है।
2. यह नियुक्ति संबंधित अधिकारी के द्वारा अभ्यर्थी के समस्त शैक्षिक अभिलेखों एवं तकनीकी अंक तालिकाओं, प्रमाण–पत्रों, आरक्षित श्रेणी के जाति प्रमाण–पत्र आदि के उचित माध्यमों से सत्यापित कराये जाने की शर्त के साथ की जाती है, कि यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई गलत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है अथवा सत्यापन कराने पर आरक्षण का दावा असत्य पाया जाता है तो ऐसी दशा में बिना किसी पूर्व नोटिस के नियुक्ति निरस्त की जा सकती है तथा भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
3. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है एवं किसी भी समय बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती है।
4. यह संवर्ग प्रदेश स्तरीय संवर्ग है,अतः जनहित में प्रदेश के किसी भी चिकित्सालय में स्थानान्तरण किया जा सकता है।
5. सम्बन्धित अभ्यर्थियों को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अन्तर्गत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी नियमानुसार देय होंगे।
6. नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा–भत्ता आदि देय नही होगा।
7. यह नियुक्ति राज्य कर्मचारियों से संबंधित उत्तर प्रदेश शासन के यथासमय नियमों/उपबन्धों के अधीन की जाती है।
8. संबंधित अभ्यर्थी अपना कार्यभार ग्रहण करने हेतु तैनाती स्थान के जनपद के कालम–08 में अंकित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका) के सम्मुख उपस्थित हों। यदि अभ्यर्थी आदेश जारी होने की तिथि के एक माह के अन्दर नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण नही करता है तो यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा और उसका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
9. संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा यथा स्थिति योगदान कराते समय रूपये 100/– के स्टैम्प पेपर पर संबंधित अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनसे संबंधित कोई वाद चयन के संबंध में लम्बित नही है।
10. संबंधित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियों के साथ–साथ उनकी स्वप्रमाणित दो प्रतियॉ, नियुक्ति स्थान पर संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी, जो मूल प्रतियॉ अभ्यर्थी को सत्यापन उपरान्त वापस कर दी जायें।

    (क) मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा शारीरिक स्वस्थता के सम्बन्ध में प्रदत्त प्रमाण–पत्र।

    (ख) हाई स्कूल व इण्टरमीडियट की अंक तालिका एवं प्रमाण–पत्र।

    (ग) सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण एवं धात्री प्रशिक्षण (महिला अभ्यर्थी हेतु) का अंक पत्र व प्रमाण–पत्र।

    (घ) उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी/नर्सिंग काउन्सिल में नर्सिंग तथा मिडवाइफरी में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र।

(ङ.) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सरकारी सेवा में हों और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके संबंधी न हों, से चरित्र का प्रमाण–पत्र।

(च) संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्व कोई अभियोजन लम्बित/विचाराधीन होने या न होने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने अथवा न किये जाने के संबंध में एक शपथ–पत्र।

(छ) ओथ आफ एलीजिएन्स का प्रमाण–पत्र।

(ज) भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं प्रतिज्ञा का शपथ पत्र/प्रतिज्ञा।

(झ) चल व अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में घोषणा पत्र।

(ञ) विवाहित होने की दशा में एक से अधिक पति/पत्नी जीवित न होने का प्रमाण–पत्र व विवाहित अभ्यर्थी निम्न प्रारूप पर घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे/करेंगी।

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नी/ श्री .... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा विवाह श्री/कु0 .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/ श्री .... व्यवसाय ....(यदि व्यवसाय नौकरी में है तो सेवायोजक का नाम व पूर्ण पता/यदि नही तों पूर्ण विवरण तथा कार्यस्थल का पूर्ण पोस्टल पता (डाक पता) भी अंकित किया जाय) के साथ दिनांक .... को रीति–रिवाज के साथ हुआ था और उक्त व्यक्ति के साथ विवाहोपरान्त मेरा नाम श्रीमती .... है।

मैं शपथपूर्वक यह घोषणा करती हूँ कि मेरे पति/पत्नी के अतिरिक्त कोई अन्य जीवित पति/पत्नी नही है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दो साक्षियों के हस्ताक्षर एवं पूर्ण पता–

(ट) हिन्दी व अँग्रेजी में नमूने के दो हस्ताक्षर।

(ठ) मूल स्थाई निवास से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।

(ड) आरक्षित श्रेणी/विकलांग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित से संबंधित प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र उत्तर प्रदेश राज्य की महिला अभ्यर्थी को पिता पक्ष की ओर से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र।

(पद्माकर सिंह)
महानिदेशक।

संख्या–19फ/01–एन/लो0से0आ0च/2018/310–17 तद्दिनॉक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (प्रयागराज)।

2– सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद (प्रयागराज)।

3– सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग–8

4– संबंधित निदेशक/ प्रमुख/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला/ सॅयुक्त/ महिला चिकित्सालय/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस आशय से कि उपरोक्त औपचारिकतायें पूर्ण कराने के उपरान्त अभ्यर्थियों की स्व प्रमाणित अभिलेखों को उनके मूल अभिलेखों से स्वयं मिलान कर, उन पर यह अंकन करें कि 'मूल प्रतियों से भी मिलान किया एवं सही पाया' अपने हस्ताक्षर कर एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें

तथा एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में विशेष पत्रवाहक द्वारा उपलब्ध करायें, संबंधित अभ्यर्थी का योगदान स्वीकार कर, अभिलेखों का सत्यापन, सक्षम निर्गत अधिकारी से कराकर योगदान संबंधी कार्यवाही दो माह में पूर्ण कर, अपनी सुस्पष्ट आख्या प्रस्तुत करें। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत नियुक्ति आदेश का सत्यापन अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय से कराने के उपरान्त ही संबंधित कर्मी का वेतन आहरित करना सुनिश्चित करें।

5— समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।

6— संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7— संबंधित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ कि वह समस्त प्रमाण–पत्रों की दो–दो प्रतियां कार्यभार ग्रहण करने के समय संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करें।

8— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, सम्बन्धित जनपद को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर इस कार्यालय के साथ–साथ सम्बन्धित जनपद के नियंत्रक अधिकारियों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(रूकुम केश)
निदेशक (नर्सिंग)